न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री बीरबल सिंह शेखावत, आर.ए.एस.
अपील संख्या : 255/2019

कालू पुत्र स्व. श्री रामचन्द्र जाति माली, निवासीः ग्राम मोठू का बास, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

——अपीलान्ट

बनाम

1. हणमान पुत्र स्व. श्री नारायण जाति माली, निवासीः ग्राम मोठू का बास, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
2. भूरा पुत्र स्व. श्री नारायण जाति माली, निवासीः ग्राम मोठू का बास, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील आमेर, जिला जयपुर।
4. उप पंजीयक आमेर, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
5. सहायक अभियन्ता जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड पताः जैतपुरा, तहसील चौमू, जिला जयपुर।
6. एस.बी.आई बैंक जरिये शाखा प्रबंधक शाखा चौप, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
7. बैंक ऑफ बडौदा जरिये शाखा प्रबंधक शाखा राजावास, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
8. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स जरिये शाखा प्रबंधक शाखा चौमू, तहसील चौमू, जिला जयपुर।

——रेस्पोडेन्ट्स

<u>अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 01.05.2019 न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर, जिला जयपुर प्रार्थना पत्र संख्या 24/2019 उनवानी कालू बनाम हणमान व अन्य अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

उपस्थितः

श्री सतीश यादव एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट
श्री गजराज कुमार योगी एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2
श्री प्रदीप कुमार गुप्ता एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 5
श्री दीपक शर्मा एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 7

निर्णय दिनांकः 26.12.2019

—: निर्णय :—

1. अपीलान्ट की ओर से एक अपील न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर, जिला जयपुर के प्रार्थना पत्र संख्या 24/2019 बउनवानी कालू बनाम हणमान व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 01.05.2019 के विरूद्व अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत की गई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम छवरकाबास, तहसील आमेर, जिला जयपुर में नया खाता संख्या 75 व पुराना खाता संख्या 75 की आराजी खसरा नंबर 1 रकबा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

0.9000 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2 रकबा 0.6600 हैक्टेयर कुल किता 2 का कुल रकबा 1.5600 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है जिसमें प्रार्थी का शामलाती अविभाजित 1/3 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी का 1/3 हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 1 ता 2 का 1/3, 1/3 हिस्सा निहित है जो कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 2 की अविभाजित शामलाती संयुक्त खातेदारी की कब्जेकाश्त की भूमि है। वादग्रस्त आराजीयात का प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 2 के मध्य बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स अनुसार तकासमा नहीं हुआ है जिस पर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 2 अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त हो उसका उपयोग उपभोग कर रहे है तथा उक्त सम्पत्ति का लगान सरकारी अदा कर रहे है। अभी कुछ समय पूर्व ही अप्रार्थी कुछ व्यक्तियो के साथ आये एवं आराजीयात बेचान हेतु दिखाने लगे जिस पर प्रार्थी ने कहा कि आराजीयात अविभाजित है बिना विभाजन आप आराजीयात का बेचान नहीं कर सकते है। प्रार्थी के विरोध करने पर उस समय तो अप्रार्थी चले गये किन्तु जाते–जाते धमकी दे गये कि मौका मिलते ही आराजीयात का बेचान कर प्रार्थी को आराजीयात से बेदखल कर देगे। इस कारण दौराने दावा अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाना आवश्यक हुआ है। यदि अप्रार्थीगण को रोका नहीं गया तो प्रार्थीगण को अपूर्तनीय क्षति कारित हो सकती है। प्रथमदृष्टया केस एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में प्रबल है। अंत में अनुतोष चाहा है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दौराने दावा अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि अप्रार्थीगण प्रार्थी द्वारा किये जा रहे आराजीयात के शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग में बाधा कारित न करे, ना ही मौके पर कोई निर्माण कार्य करे, ना ही आराजीयात का बेचान करे, ना ही किसी अन्य से करावे। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों की सुनवाई कर अपने आदेश दिनांक 01.05.2019 के माध्यम से पूर्व में पारित अंतरिम स्थगन आदेश दिनांक 07.03.2019 में परिवर्तन करते हुये विद्युत कनेक्शन लेने की हद तक स्थगन आदेश निरस्त कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई, रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब होने पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। वकील अपीलार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से यही निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्यों के आधार पर अपीलान्ट के पक्ष में प्रथमदृष्टया मामला मानकर अप्रार्थीगण को जरिये अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया था किन्तु दिनांक 01.05.2019 को बिना समस्त अप्रार्थीगण का जवाब पेश हुये एवं पक्ष सुने मात्र अप्रार्थी के प्रार्थना पत्र ही विधि विरूद्व तरीके से बहस सुनकर विद्युत कनेक्शन लेने की हद तक स्थगन आदेश निरस्त कर दिया गया जिसकी आड में रेस्पोडेन्ट अपीलान्ट को हैरान व परेशान कर रहे है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्व तरीके से बिना रेस्पोडेन्ट के कोई प्रार्थना पत्र पेश न किये जाने के बावजूद मनमर्जी से अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो विधिविरूद्व होने से निरस्त किये जाने योग्य है। इस कारण अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 01.05.2019 खारिज फरमाया जावे। अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 2017 (2) आर.आर.टी. पेज 823, 2016 (2) आर.आर.टी पेज 1126 पेश किये। वकील रेस्पोडेन्ट ने वकील अपीलार्थी के कथनों का खंडन करते हुये बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थी की सुविधा को दृष्टिगत

राजस्व अपील प्राधिकारी

रखते हुये अपीलाधीन आदेश के माध्यम से मात्र विद्युत कनेक्शन लेने की अनुमति रेस्पोडेन्ट को प्रदान की है शेष स्थगन आदेश यथावत है। अपीलान्ट ने मात्र रेस्पोडेन्ट को हैरान व परेशान करने की नियत से आधारहीन तथ्यों पर अपील प्रस्तुत की है। इस कारण अपीलान्ट की अपील आधारहीन होने से खारिज फरमाई जावे।

4. वकील उभयपक्षों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। बाद अवलोकन यह पाया कि प्रार्थी/अपीलान्ट्स द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष विवादग्रस्त आराजीयात के संदर्भ में तकासमा के वाद के साथ प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया जिसमें अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों की सुनवाई कर अपने आदेश दिनांक 01.05.2019 के माध्यम से पूर्व में पारित अंतरिम स्थगन आदेश दिनांक 07.03.2019 में परिवर्तन करते हुये विद्युत कनेक्शन लेने की हद तक स्थगन आदेश निरस्त कर दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात के समुचित अवलोकन पश्चात् पाया गया कि राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी अनुसार विवादग्रस्त आराजीयात पक्षकारान की अविभाजित आराजीयात है जिसमें अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में दिनांक 07.03.2019 को अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कर विवादग्रस्त आराजीयात के बेचान व गैर कृषि कार्य न किये जाने व मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु आदेशित किया गया। जिसके उपरान्त अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 01.05.2019 को अप्रार्थीगण की आवश्यकता कृषि कार्य के लिये विद्युत कनेक्शन प्राप्त किये जाने के बिन्दु को दृष्टिगत रखते हुये पूर्व में पारित अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 07.03.2019 में विद्युत कनेक्शन लिये जाने की अनुमति प्रदान की गई। चूंकि विवादग्रस्त आराजीयात अविभाजित आराजीयात है जिस पर प्रार्थीगण के साथ–साथ अप्रार्थीगण के भी हक अधिकार सम्मिलित है। विद्युत कनेक्शन कृषि कार्य एवं कृषि संयंत्रों के लिये आवश्यक साधन है जिसे प्रदान किये जाने से प्रार्थीगण को किसी भी प्रकार की अपूर्तनीय क्षति कारित नहीं होती है एवं विद्युत कनेक्शन अप्रार्थीगण की आवश्यकता का साधन है जिसका उपयोग कृषि कार्य में सहायता हेतु किया जाता है इस कारण प्रथमदृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन भी विद्युत कनेक्शन की हद तक अप्रार्थीगण के पक्ष में पाया जाता है। इसके अलावा उक्त अपीलाधीन आदेश से पक्षकारान के मध्य ना ही कोई विवाद ही बढेगा। वकील अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत प्रकरण पर चस्पा नहीं होते है। उपरोक्त विवेचन अनुसार स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सही निर्णय पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। फलस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज योग्य पायी जाती है।

5. अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर आमेरे, जिला जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.05.2019 यथावत रखा जाता है। पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद दाखिल दफ्तर हो।

6. निर्णय आज दिनांक 26.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर